Ph.No. 0151 - 2543419 (O),
2549348 (Fax)
2240380 (Res.)
09414138211 (M)
Email: vcrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Prof. A.K. Gahlot
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 61/2014

श्री दिव्य भड़िया ....अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर .... उत्तरदाता

उपस्थितिः–

(1) अपीलार्थी– श्री दिव्य भड़िया– (अनुपस्थित)

(2) उत्तरदाता–डॉ. राकेश राव, कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर। (उपस्थित)

(i) अपील प्रस्तुती : 19.11.2014
(ii) निर्णय दिनांक : 18.12.2014

निर्णय

अपीलार्थी दिव्य भड़िया ने कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2014 प्रेषित कर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनाएं उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 13.10.2014 को प्राप्त हुआ। कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर ने पत्र क्रमांक एफ. (488) राजूवास/रजि./आर.टी.आई./2014/357 दिनांक 07.11.2014 से अपीलार्थी को रजिस्टर्ड पत्र से प्रत्युत्तर प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2014 का निस्तारण किया गया।

अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वांछित सूचना		लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर
(i)	कॉलेज नं.	सूचना चाहने का वर्ष समस्त प्रवेशार्थिया का काउंसलिग के समय % सहित संख्या	आप द्वारा वांछित की गई सूचना अस्पष्ट एवं भ्रामक होने के कारण उपलब्ध करवायी जानी संभव नहीं है।
	04	2008 की प्रवेश की काउंसलिग लिस्ट	
	05	2007, 2008, 2009, 2010 की समस्त प्रवेशार्थियों की काउसलिग लिस्ट	
	06	2009, 2010 की कांउसलिग लिस्ट प्रवेशार्थियों की काउसलिग लिस्ट	
	11	2009 की कांउसलिग लिस्ट प्रवेश दिये गये समस्त प्रवेशार्थियों की लिस्ट	
	12	2010 की कांउसलिग लिस्ट प्रवेश दिये गये समस्त प्रवेशार्थियों की लिस्ट	

Contd.

15	2008, 2009, 2010 की कॉलेज में समस्त प्रवेशार्थियों की लिस्ट	
19	2010 की प्रवेश के समय काउसलिंग लिस्ट	
22	2009 की प्रवेश के समय काउसलिंग लिस्ट	
26	2010 की प्रवेश के समय काउसलिंग लिस्ट	
30	2007 व 2009 की प्रवेश के समय काउसलिंग लिस्ट	
32	2009 व 2010 की प्रवेश के समय काउसलिंग लिस्ट	
33	2007 की काउसलिग लिस्टमय/प्रवेशार्थि की संख्या	
35	2009 की काउसलिग लिस्टमय/प्रवेशार्थि की संख्या	
36	2007, 2008, 2009 व 2010 की काउसलिग लिस्टमय/प्रवेशार्थि की संख्या	
37	2007, 2008, 2010 की काउसलिग लिस्टमय/प्रवेशार्थि की संख्या	
42	2008 की काउसलिग लिस्टमय/प्रवेशार्थि की संख्या	
45	2007, 2009 व 2010 की काउसलिग लिस्टमय/प्रवेशार्थि की संख्या	

अपीलार्थी ने दिनांक 14.11.2014 तक सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के कारण यह प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे कि नियमित सुनवाई हेतु दर्ज रजिस्टर किया गया। नोटिस दिनांक 26.11.2014 से अपीलार्थी को सुनवाई दिनांक 18.12.2014 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। सुनवाई दिवस पर लोक सूचना अधिकारी डॉ. राकेश राव उपस्थित हुए तथा अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।

सुनवाई दिवस को अन्तिम बहस सुनी गयी। डॉ. राव लोक सूचना अधिकारी ने मेरे समक्ष यह कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कांऊसलिंग लिस्ट चाही गयी लेकिन कांऊसलिंग लिस्ट नाम से कोई दस्तावेज विश्वविद्यालय अभिलेखों में संधारित नहीं किया जाता लेकिन छात्रों की प्रवेश सूची अवश्य तैयार की जाती है इस कारण सूचनाएं समझ में आने योग्य नहीं होने के कारण एवं भ्रामक होने के कारण अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। अपीलार्थी द्वारा कई सारी सूचनाएं चाही गयी हैं जो कि अस्पष्ट प्रकृति की है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का उनके द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित पत्र क्रमांक 357 दिनांक 07.11.2014 से प्रत्युत्तर प्रेषित कर दिया गया था अतः अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि उसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2014 जो कि कार्यालय में 14.11.2014 को प्राप्त हुआ, से चाही गयी सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु पुनः निवेदन किया गया जिसके क्रम में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 383 दिनांक 19.11.2014 से विश्वविद्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 357 दिनांक 07.11.2014 की प्रति प्रेषित की गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 357 दिनांक 07.11.2014 एवं 388 दिनांक 19.11.2014 की प्रति मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित किए गए दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किए जाने का कोई कारण/आधार उपलब्ध नहीं है। संभवतः डाक अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुई हो

Contd.-

जिसकी प्रतिपूर्ति में लोक सूचना अधिकारी ने रजिस्टर्ड पत्र से पूर्व पत्र की प्रति अपीलार्थी को भिजवा दी गयी है। अतः यह उपधारणा की जाएगी कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित पत्र अपीलार्थी को प्राप्त हो चुके है। लेकिन लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना अस्पष्ट व भ्रामक होने के आधार पर उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। इस क्रम में मैनें अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित प्रत्युत्तर का अवलोकन किया।

मेरे मत में यद्यपि अपीलार्थी द्वारा ऐसी सूचना चाही गई है जो कि अस्पष्ट प्रकृति की है क्योंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा बहस के दौरान मेरे समक्ष यह कथन किया गया हैं कि कांऊसलिंग लिस्ट नाम से कोई दस्तावेज विश्वविद्यालय अभिलेखों में संधारित नहीं किया जाता। लेकिन इसके साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रवेशित छात्रों की लिस्ट अवश्य तैयार की जाती है अतः मेरे मत में यदि अपीलार्थी को कांऊसलिंग लिस्ट के रूप में प्रवेशित छात्रों की सूची उपलब्ध करवा दी जाती है तो भी अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त हो सके। यद्यपि इसका स्वरूप दूसरा हो सकता है लेकिन मूल उद्देश्य अपीलार्थी जो जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह उपलब्ध करवाना होना चाहिए।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि यदि उत्तरदाता लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में अपीलार्थी द्वारा वांछित की गयी सूचनाएं प्रवेशित छात्रों की सूची के रूप में भी संधारित की जाती है तो निर्णय प्रति प्राप्त होने के 30 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति संबधित को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(ए.के. गहलोत)
कुलपति एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
राजूवास, बीकानेर

Registrar
Rajasthan University of
Veterinary And Animal Sciences
BIKANER